

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-831/2012

संस्थित दिनांक-08.10.12

फाईलिंग क्र.234503001492012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

रमेश पिता जानूलाल, उम्र-29 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम कुकर्मा, थाना गढ़ी,  
 तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-24/07/2017 को घोषित)

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324/34, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-26.09.12 को दिन में करीब 2:30 बजे, आरोपी के घर के सामने रोड लोकस्थान या उसके समीप फरियादी मधुबाई को अश्लील शब्द "साली मादरचोद" उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी को हाथ-मुक्कों एवं नाखून से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर, संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी श्रीमती मधुबाई ने पुलिस थाना गढ़ी में रिपोर्ट लेख कराई थी कि दिनांक-26.09.2012 को दोपहर 2:30 बजे फरियादी उसकी पुत्री सुषमाबाई को बुलाने पड़ोस में रमेश अहीर के घर के सामने रोड पर उसकी पुत्री सुषमा को पुकार रही थी कि उतने में रमेश अहीर घर से साली मादरचोद, माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए रोड पर आया था और फरियादी से बोला था कि यहां क्यों चिल्ला रही है। फरियादी ने रमेश से कहा था कि वह उसकी पुत्री को बुला रही है। उतने में रमेश फरियादी के बाल पकड़कर हाथ-झापड़ से गले, कान पर मारपीट की थी। अभियुक्त कहने लगा था कि साली को जान से खत्म कर देगा। घटना में सुरेश पनिका, मनोतीनबाई, प्रेमबतीबाई ने बीच-बचाव किया था। पुलिस थाना गढ़ी ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध

क्रमांक-54/2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

3- अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया था, किन्तु बचाव साक्ष्य नहीं दी है।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-26.09.12 को दिन में करीब 2:30 बजे, आरोपी के घर के सामने रोड लोस्थान या उसके समीप फरियादी मधुबाई को अश्लील शब्द "साली मादरचोद" उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी को हाथ-मुक्कों एवं नाखून से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?

#### विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7- मधुबाई अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है। अभियुक्त उसका रिश्तेदार है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से 10 माह पूर्व की दोपहर के समय की लगभग 2-3 बजे की है। घटना दिनांक को उक्त साक्षी उसके घर के सामने से उसकी पुत्री सुषमा को बुलाने गई थी एवं उसकी पुत्री को आवाज दे रही थी, तभी अभियुक्त उसके घर से निकला था। साक्षी से बोलने लगा था कि साली-मादरचोद, कुतिया उसके घर के सामने हल्ला करती है। जहां से अभियुक्त गाली दे रहा था, वह जगह आने-जाने वाली रोड से 10-15 कदम की

दूरी पर थी। साक्षी को गाली सुनने में बुरी लगी थी। साक्षी जब वापस आने लगी थी तो अभियुक्त ने उसके बाल पकड़कर उसे रोड पर गिरा दिया था। साक्षी जब बस्ती की तरफ जाने लगी तो अभियुक्त फिर दोबारा आया तो साक्षी के साथ ईंट से मारपीट की, जो उसे कूल्हे पर लगी। अभियुक्त, साक्षी की छाती पर चढ़कर गला दबाने लगा था। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ी में लिखाई थी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था। साक्षी का शासकीय अस्पताल बैहर में चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। पुलिस ने साक्षी के कथन लिये थे।

8— सुरेश अ.सा.3 ने फरियादी की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से एक वर्ष पूर्व की है। घटना के समय अभियुक्त, फरियादी की छाती पर बैठा था एवं उसका गला दबा रहा था। साक्षी अभियुक्त को पकड़कर उसके घर छोड़ आया था। पुलिस ने इस साक्षी के सामने नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था।

9— मनोतिनबाई अ.सा.2 ने फरियादी की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि घटना दिनांक को वह उसकी बाड़ी में उड़दा खोद रही थी, तब फरियादी ने उसकी पुत्री को बुलाने के लिए आवाज लगाई थी। उसके थोड़ी देर बाद फरियादी का अभियुक्त के साथ विवाद हो गया था। अभियुक्त रमेश फरियादी के साथ मारपीट करने लगा था एवं फरियादी को पटक दिया था। अभियुक्त गंदी-गंदी गालियां दे रहा था। अभियुक्त फरियादी को कुतिया, वैश्या कह रहा था, जो इस साक्षी को सुनने में बुरी लगी थी। साक्षी ने घटना के समय बीच-बचाव किया था।

10— प्रेमबती अ.सा.4 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से दो वर्ष पूर्व दिन के 12-1 बजे की है। घटना दिनांक को मधुबाई एवं रमेश का झगड़ा हो रहा था। अभियुक्त ने मधुबाई की हाथ से मारपीट की थी एवं मादरचोद की गाली-गलौज कर रहा था। घटना इस साक्षी के सामने हुई थी। अभियुक्त द्वारा दी गई गालियां इस साक्षी को सुनने में बुरी लगी थी। पुलिस ने साक्षी ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

11— एन.एस. कुमरे अ.सा.5 का कथन है कि वह दिनांक-27.09.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी से आरक्षक कमलेश क्रमांक-359 आहत मधुबाई को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। चिकित्सक ने आहत को मेडिकल

परीक्षण में निम्न उपहतियां पाई थी। चोट क्रमांक-1 खरोंच के दो निशान जिसका आकार तीन चौथाई गुणा एक चौथाई लिये हुए एक-दूसरे के समांतर कर्व आकार में भूरा कालापन लिये हुए जो दाहिने कान के उपर था। चोट क्रमांक-2 खरोंच का निशान जिसका आकार तीन चौथाई गुणा आधा इंच लिये हुए था, जिसकी चमड़ी निकल गई थी, अनियमित किनारे भूरापन लिये हुए थे। उक्त चोट दाहिने पीठ पर होना पाया था। चिकित्सक के अभिमत में चोट क्रमांक-1 मानव नाखून से आ सकती थी एवं चोट क्रमांक-2 कड़ी एवं खुरदुरी सतह से आ सकती थी। आहत को आई सभी चोटें मेडिकल परीक्षण के 24 घंटे के अंदर की होकर साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सक की रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आहत को खरोंच के निशान स्वयं के द्वारा कारित किये जा सकते थे। चिकित्सक ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि खुजली की बीमारी के कारण यदि कोई व्यक्ति खुजा ले तो ऐसी चोट नहीं आ सकती है। चिकित्सक ने यह बताया कि आहत को आई चोट उसकी किसी अन्य बीमारी की वजह से आ सकती हो तो वह इस संबंध में नहीं बता सकते हैं।

12- दिनेश पॉल अ.सा.6 का कथन है कि वह दिनांक-26.09.12 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। साक्षी ने फरियादी मधुबाई के बताए अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक-54/12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

13- प्रकरण में मधुबाई अ.सा.1, मनोतिनबाई अ.सा.2, प्रेमबती अ.सा.4 ने उनकी साक्ष्य में अश्लील शब्दों के बारे में बताया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा फरियादी को अश्लील गालियां दिये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में मधुबाई अ.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त ने उसे साली-मादरचोद, कुतिया की अश्लील गाली दी थी। मनोतिनबाई ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त उसे कुतिया, वेश्या कह रहा था एवं गंदी-गंदी गालियां दे रहा था। प्रेमबती अ.सा.4 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त फरियादी को मादरचोद की गाली दे रहा था। फरियादी द्वारा लिखाई गई घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में यह लेख है कि अभियुक्त ने फरियादी को साली शब्द बोला था। फरियादी एवं उसके साक्षीगण की साक्ष्य में एवं प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा दिए गए अश्लील शब्दों के संबंध में विरोधाभास है। भा.द.वि. की धारा-294 के अपराध को साबित करने के लिए यह बताया जाना आवश्यक है



कि उच्चारण किये जाने वाले शब्द इस सीमा तक अश्लील थे जो किसी व्यक्ति को अनैतिक या भ्रष्ट आचरण करने के लिए उकसाते हो। मात्र गंदी-गंदी गालियां देना कहने से अश्लीलता का निर्धारण नहीं होता, किन्तु अश्लीलता का निर्धारण उससे प्रभावित व्यक्तियों के सामाजिक बल एवं नैतिक मूल्यों के प्रति उनकी संवेदनशीलता के प्रकाश में किया जाना होता है। प्रेमबती अ.सा.4 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि यदि कोई शराब पीकर गाली-गलौज करता है तो उसे गांव वाले बुरा नहीं मानते हैं। कुछ वर्गीय समाज में इस प्रकार की अभद्र गालियां मात्र आवेश में आकर आक्रोश व्यक्त करने के लिए दी जाती है। इस परिस्थिति में वे दण्डनीय नहीं होंगे। मात्र इनके प्रयोग से प्रभावित व्यक्ति के प्रति क्षोभ प्रमाणित नहीं होगा। मात्र अश्लील गालियां देने से वे अश्लीलता की परिधी में नहीं आती है। ऐसी दशा में यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मधुबाई को अश्लील शब्द "साली मादरचोद" उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था।

14— मधुबाई अ.सा.1, मनोतिनबाई अ.सा.2, सुरेश अ.सा.3, प्रेमबती अ.सा.4 ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने मधुबाई को जान से मारने की धमकी दी थी। प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लेख है कि अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी एवं उसके साक्षीगण की साक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में फरियादी को अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में विरोधाभास है। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था।

15— प्रकरण में अभियुक्त द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का प्रश्न है तो फरियादी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे ईंट से मारा था जो उसके कूल्हे पर लगी थी एवं अभियुक्त ने उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाया था। सुरेश अ.सा.3 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त फरियादी मधुबाई की छाती पर बैठा था तथा उसका गला दबा रहा था। मनोतिनबाई अ.सा.2 की साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त ने फरियादी के साथ मारपीट की थी एवं फरियादी को पटक दिया था। मधुबाई प्रकरण की फरियादिया है एवं मनोतिनबाई अ.सा.2, सुरेश अ.सा.3 प्रेमबती अ.सा.4 प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण हैं, इसके उपरान्त मधुबाई अ.सा.1, सुरेश अ.सा.3 एवं मनोतिनबाई अ.सा.2, प्रेमबती अ.सा.4 की साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा मधुबाई की छाती पर बैठकर मधुबाई के साथ ईंट से कूल्हे पर

मारपीट की थी या अभियुक्त ने मधुबाई का हाथ पकड़कर मधुबाई के साथ मारपीट की थी। इस संबंध में विरोधाभास है। मधुबाई ने प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखाया था कि अभियुक्त ने उसके बाल पकड़कर हाथ-झांपड़ से गले, कान पर मारपीट की थी। मधुबाई एवं प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य में एवं प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा मधुबाई के शरीर पर किस स्थान पर मारपीट कर चोट पहुंचाई गई थी, इस संबंध में विरोधाभास है। मधुबाई की साक्ष्य एवं चिकित्सक की साक्ष्य में भी मधुबाई के शरीर पर किस स्थान पर मारपीट में चोट आई थी, इस संबंध में विरोधाभास है। प्रकरण की फरियादिया एवं प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण ने अभियुक्त को प्रकरण में फंसाने के लिए बड़ा-चढ़ाकर कथन किये हैं। फरियादिया मधुबाई की साक्ष्य एवं प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य एवं प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरोधाभास एवं चिकित्सक एवं मधुबाई की साक्ष्य में मधुबाई की चोटों के संबंध में आए हुए विरोधाभास को देखते हुए प्रश्नाधीन प्रकरण में अभियुक्त को दोषी मानना उचित नहीं है, इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मधुबाई के साथ हाथ-मुक्कों से एवं नाखून से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की थी।

16- प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17- प्रकरण में धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

18- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट